

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 25.06.2025

चोरी करने के आरोप मे 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे चोरी के 46,000 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त इनोवा कार बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 220/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त व्यास पासवान को चोरी के 46,000 रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त इनोवा कार के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24/6/2025 को वादी अपने घर से (50,000) पचास हजार रुपये लेकर पंजाब नेशनल बैंक कुसुम्ही बाजार गोरखपुर में अपने खाते में पैसा जमा करने के लिए जाते समय कुसुम्ही बाजार में जूस के दुकान पर जूस पीने के लिए रुका । वहीं जूस की दुकान पर अभियुक्त व्यास पासवान व उसके साथियों द्वारा वादी को गुमराह कर 50 हजार रु0 चोरी कर लिया गया । जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

व्यास पासवान पुत्र नेबूलाल पता नि0 जोगीया बुजुर्ग थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 220/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना एम्स जनपद , बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना एम्स जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. 46,000 रुपये नगद,
2. घटना में प्रयुक्त इनोवा कार

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विवेक अवस्थी थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 आकाश शुक्ला थाना एम्स जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 अमरेश प्रताप सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 रामप्रवेश यादव थाना एम्स जनपद गोरखपुर
6. का0 अनील यादव थाना एम्स जनपद गोरखपुर
7. का0 प्रभाकर सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर